बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :- 2/अ0प्र0-1-190/2016 1010 /पटना, दिनांक :- 2-6-2020

. पथ निर्माण विभाग द्वारा श्री कृष्ण कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जहानाबाद से पथ प्रमंडल, जहानाबाद अन्तर्गत इमामगंज-करपी-शहर तेलपा पथ के कि0मी0 2 एवं कि0मी0 24 में एस0डी0वी0सी0/वी0एम0/वी0यू0एस0जी0/डब्लू0एम0एम0 का कार्य प्रावधान के अनुसार नहीं कराये जाने संबंधी अनियमितता के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गयी। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पथ निर्माण विभाग द्वारा उसे अस्वीकृत करते हुए असंचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया, जिसपर सक्षम प्राधिकार का दिनांक 31.05.2016 को अनुमोदन प्राप्त किया गया, किन्तु आदेश निर्गत नहीं किया गया।

3. इस बीच श्री सिंह का संवर्ग प्राधिकार ग्रामीण कार्य विभाग होने के कारण पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3064 दिनांक 03.05.2016 द्वारा प्रश्नगत् मामले में अग्रतर कार्रवाई हेतु संबंधित संचिका इस विभाग को भेजी गयी। श्री सिंह के दिनांक 31.05.2016 को सेवानिवृति होने के कारण श्री सिंह के विरूद्ध उक्त आदेश का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका।

3. ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मामले के समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया तथा श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 714 अनु0 दिनांक 20.03.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत इस बिन्दु पर कारण पृच्छा की गयी कि क्यों नहीं उक्त अनियमितता के आलोक में उनकी सेवा संतोषजनक नहीं मानते हुए दंड के रूप में उनके पेंशन से अगले पाँच वर्षों तक दस प्रतिशत की मासिक कटौती की जाय।

4. श्री सिंह से प्राप्त बचाव बयान दिनांक 04.07.2019 में प्रश्नगत पथ के कि0मी0 2 का कार्य उनके पदस्थापन काल में नहीं कराये जाने का उल्लेख किया गया। पथ के कि0मी0 24 से संबंधित तीन आरोप हैं। पथ के कि0मी0 24 से संबंधित पहला आरोप पथ में वी0एम0 एवं वी0यू0एस0जी0 का कार्य की औसत मोटाई प्रावधानित मोटाई 50 एम0एम0 के बजाय 46 एम0एम0 पाये जाने का है। दूसरा आरोप पथ में एस0डी0वी0सी0 तथा वी0एम0 कार्य का प्रावधानिक एफ0डी0डी0 क्रमशः 2.30 एवं 2.20 जी0एम0/सी0सी0 के बजाय 2 जी0एम0/सी0सी0 पाये जाने का है। तीसरा आरोप पथ में कराये गये डब्लू0एम0एम0 कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट का एफ0आई0+ई0आई0 का कुल मान प्रावधान के अनुसार 30 प्रतिशत होने के बजाय 33.11 प्रतिशत पाये जाने का है।

7. श्री सिंह के बचाव बयान में उल्लेख किया गया है कि पथ के 24वें कि0मी0 में पथ के दोनो ओर स्थित गहरी पोखर में प्रायः सालो भर जल-जमाव रहने के कारण पथ का फ्लैंक पानी के गड़े में स्लीप कर गया था, जिसके कारण उस कि0मी0 के लगभग 250 मी0 अंश में पथ के दोनों ओर ट्रैक बन गया था एवं पथ जगह-जगह पर क्रेक भी हो गया था। उक्त क्षतिग्रस्त भाग को संवेदक द्वारा अपने खर्च पर क्षतिग्रस्त भाग को हटाकर एक फिट बालू भरकर जी0एस0बी0, डब्लू0एम0एम0, बी0यू0एस0जी0, बी0एम0, एस0डी0बी0सी0 का कार्य दुबारा करा कर सुधार कर दिया गया था। साथ ही यह उल्लेख किया गया है कि जाँच पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मोटाई की माप नहीं की गयी है।

8. उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत पथ की जाँच कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल–1, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा दिनांक 07.04.2010 को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की गयी थी। जाँच के समय कार्य प्रगति में था। पथ में कि0मी0 2 एवं कि0मी0 24 में कराये गये कार्य की जाँच की गयी जिसमें कि0मी0 24 के पथ परत में कहीं–कहीं क्रेक तथा पथ कुछ धँसा हुआ पाया गया। पथ के बी0एम0 एवं बी0यू0एस0जी0 के परत में 4 एम0एम0 की कमी पायी गयी जो निर्धारित टोलरेंन्स से अधिक है। पथ के एस0डी0बी0सी0 एवं बी0एम0 कार्य का औसत एफ0डी0डी0 क्रमशः 2.16 जी0एम0/सी0सी0 तथा 2.07 जी0एम0/सी0सी0 पाये जाने पर टोलरेंन्स के रूप में स्वीकार किया जाता है किन्तु इस मामले में एस0डी0बी0सी0 एवं बी0एम0 कार्य का एफ0डी0डी0 उक्त निर्धारित टोलरेंन्स से भी कम पाया गाया। डब्लू0एम0एम0 कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट का एफ0आई0+ई0आई0 भी निर्धारित टोलरेंन्स से अधिक पाया गया। अतएव उपर्यक्त समीक्षा के आलोक में श्री सिंह का बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में श्री कृष्ण कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत **पेंशन से अगले पाँच वर्षो तक 10 (दस) प्रतिशत की मासिक कटौती** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

1/6/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–190/2016 1011 /पटना, दिनांक :– 2.6.2020

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

1/6/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–190/2016 1011 /पटना, दिनांक :– 2.6.2020

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/6/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-190/2016 1011 /पटना, दिनांक :- 2.6.2020

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अग्रिम योजना अंचल, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-6, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री कृष्ण कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना। पत्राचार का पता- 249/2बी, न्यू पाटलिपुत्रा, पो0+थाना-पाटलिपुत्रा, जिला-पटना, पिनकोड-800013 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/6/2020

अपर सचिव